

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-
पत्र संख्या-विधि-1(2)-एन-3- (2007-2008)

1935

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(विधि अनुभाग)

दिनांक: लखनऊ :: 18 फरवरी, 2007

समस्त अधिकारीगण,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: व्यापार कर अधिनियम की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत छूट से संबंधित जारी विज्ञप्तियों को निरस्त करने के संबंध में दिनांक 31-12-2007 को जारी विज्ञप्तियों के प्रभावी होने के संबंध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ यू0पी0 4/180 विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा शासन को प्रेषित अपने पत्र संख्या-एसीसीआईयू0पी/कैम्प आफिस/2007-08 / एफ-01 दिनांक 01 फरवरी, 2008 के माध्यम से यह जिज्ञासा की गई है कि व्यापार कर अधिनियम की धारा 3छ, 4, 4कक, 4ककक, 4ख, 4खख, 4ग, व धारा 5 के अधीन निर्गत की गई छूट से संबंधित विज्ञप्तियों को विखण्डित करने हेतु दिनांक 31-12-2007 को जारी निम्न विज्ञप्तियां दिनांक 31-12-2007 को प्रभावी रहेगी अथवा नहीं :-

- 1- संख्या-क0नि0-2-3200/ग्यारह-9(338)/07-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश (15) 2007 दिनांक 31-12-2007
- 2- संख्या-क0नि0-2-3201/ग्यारह-9(338)/07-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश (16) 2007 दिनांक 31-12-2007
- 3- संख्या-क0नि0-2-3202/ग्यारह-9(338)/07-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश (17) 2007 दिनांक 31-12-2007
- 4- संख्या-क0नि0-2-3203/ग्यारह-9(338)/07-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश (18) 2007 दिनांक 31-12-2007
- 5- संख्या-क0नि0-2-3204/ग्यारह-9(338)/07-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश (19) 2007 दिनांक 31-12-2007
- 6- संख्या-क0नि0-2-3205/ग्यारह-9(338)/07-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश (20) 2007 दिनांक 31-12-2007
- 7- संख्या-क0नि0-2-3206/ग्यारह-9(338)/07-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश (21) 2007 दिनांक 31-12-2007
- 8- संख्या-क0नि0-2-3207/ग्यारह-9(338)/07-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश (22) 2007 दिनांक 31-12-2007

2- इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-467/ग्यारह-2-2009-9 (338) / 07 दिनांक 15 फरवरी, 2008 द्वारा सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम की धारा-9 के प्राविधानों के अनुसार शब्द "से (From)" का प्रयोग करने पर संबंधित तिथि अपवर्जित (exclude) होगी अर्थात् दिनांक 31-12-2007 से विखण्डित करने की विज्ञप्ति के प्रभावी होने के लिये दिनांक 01-01-2008 की तिथि मानी जायेगी।

कृपया उपरोक्त के क्रम में विधि अनुकूल नियमानुसार कार्यवाहियाँ कराया जाना सुनिश्चित करें।

-(भारत सिंह) 18 2008

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

पृ0पृ0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर, उ0प्र0
- (5) विशेष कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर उर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्य0/वि0 अनुशा0/अपील) वाणिज्य कर, उर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, सेक्टर 10 नोयडा।

